आप० 50 आ० 26

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 772 दिनांक : 17/7/02

अधीक्षण अभियन्ता(जिला वृत्त),
जोधपुर डिस्कॉम,
जोधपुर ।

विषय :— कृषि कनेक्शन दिशा—निर्देश (तृतीय संस्करण) के पैरा 18 (ख) व निगम के आदेश आर०ई०ओ० 18 दिनांक 20.5.2002 के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :— आपके कार्यालय पत्र क्रमांक 1375 दिनांक 26.6.20002 व क्रमांक 1509 दिनांक 4.7.2002 के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके द्वारा चाहा गया स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :—

1. पूर्व मे कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण करने के लिये जरूरी था कि स्थानान्तरण किये जाने वाले स्थान पर जमीन पांच वर्षो से अधिक समय से उसी उपभोक्ता की होनी चाहिये । अब समय सीमा समाप्त कर दी गई है ।

2. पूर्व मे कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण करने के लिये यह भी प्रावधान था कि क्रेता पूर्ण जमीन का हो न कि भूमि का कुछ हिस्सा । आंशिक भूमि क्रय के मामले मे वास्तविक उपभोक्ता (GENUINE-CONSUMER) प्रकरण वरियता (MERIT) के आधार पर निगम की स्वीकृति प्राप्त कर ही, स्थानान्तरण किया जा सकता है ।

3. पूर्व मे नये विद्युतीकृत गांव मे प्राथमिकता आधार पर (दो कनेक्शन) जारी किये गये कृषि कनेक्शनो को 5 वर्षो तक स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता था । अब समय सीमा समाप्त कर दी गई है । ऐसे मामलों मे अन्य कनेक्शनों आर०ई०ओ० 18 में वर्णित सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू रहेगें ।

4. पूर्व मे पुन: कृषि कनेक्शन होने के दो वर्ष के भीतर स्थानान्तरित करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता (पीपीएम) को अधिकृत किया हुआ है चूकि अब कोई समय सीमा नही है, इसलिये आदेश संख्या आर०ई०ओ० 18 मे वर्णित सक्षम अधिकारी ही अधिकृत है ।

5. जहां पर एक कृषि कनेक्शन के दो टयूबवैल होने पर विशेष राहत के तहत दो अलग—अलग कनेक्शनों को मान्यता दी गई है, इनको दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के लिये आदेश संख्या आर०ई०ओ० 18 में वर्णित सभी प्रावधान उसी प्रकार लागू रहेगे ।

(एच०एस०देवड़ा)
उप—मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :।

1. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि एवं संधा) जोधपुर जोन/बीकानेर जोन, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/पीपीएण्डएम/पदार्थ प्रबन्ध/एमएण्डपी/बीएफएल), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बीकानेर/बाड़मेर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ ।